परिवहन विभाग, उत्तरांचल

सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कार्यालय पौड़ी

मैनुअल संख्या–01

संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य

सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कार्यालय पौड़ी

मैनुअल संख्या–1

संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य

प्रस्तावना :– प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए लोक प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन सूचना तक नागरिकों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यवहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोगों का गठन करने और उससे सम्बन्धित या उनसे आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 बनाया गया है। इस अधिनियम की अपेक्षानुसार परिवहन विभाग, उत्तरांचल के अंतर्गत सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौडी सम्भाग के संगठनात्मक स्वरूप, विशेषताएं और कर्त्तव्य निम्न प्रकार हैं :–

संगठन की स्थापना :– मोटरयान अधिनियम – 1988 की धारा – 213 के अंतर्गत राज्यों में परिवहन विभाग के गठन का प्राविधान किया गया है। उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम – 2000 के अधीन उत्तरांचल राज्य की स्थापना दिनांक 09–11–2000 को हुई है। जिसमें उत्तरांचल राज्य की स्थापना के उपरान्त मोटरयान अधानियम की उक्त व्यवस्था के अधीन उत्तरांचल शासन के द्वारा परिवहन विभाग, उत्तरांचल,के अंतर्गत परिवहन आयुक्त कार्यालय की स्थापना देहरादून में की गयी तथा परिवहन आयुक्त के अधीन चार सम्भागीय परिवहन कार्यालय, 11 उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय एवं 19 चैकपोस्टों की स्थापना की गयी है। चार सम्भागीय परिवहन कार्यालयों में से पौडी सम्भाग का कार्यालय लोअर बाजार पौडी पर स्थापित है।

संगठन का ढांचा :– सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौडी सम्भाग के अंतर्गत पौडी गढवाल, चमोली एवं रूद्रप्रयाग जनपद सम्मिलित है। वर्तमान में पौडी सम्भाग के अंतर्गत सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, का कार्यालय बद्रीनाथ मार्ग कोटद्वार ,सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कर्णप्रयाग का कार्यालय अपर बाजार कर्णप्रयाग एवं सहायक

सम्भागीय परिवहन अधिकारी रूद्रप्रयाग का कार्यालय जिला पंचायत भवन गुलाबराय रूद्रप्रयाग में स्थापित हैं।

सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी सम्भाग के नियन्त्रक अधिकारी है। सम्भाग के अंतर्गत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्वीकृत पदों का विवरण निम्नवत् हैं :–

अधिकारी / कर्मचारी का पदनाम	स्वीकृत वेतमान	स्वीकृत पद			
		पौड़ी	कोटद्वार	रूद्रप्रयाग	कर्णप्रयाग
सम्भागीय परिवहन अधिकारी	10000–15200	01	–	–	–
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	8000–13500	02	01	01	01
यात्रीकर अधिकारी	6500–10500	01	01	01	01
सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक)	6500–10500	01	–	–	–
सहा0 सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक)	5000–8000	01	01	01	01
यात्रीकर अधीक्षक	5000–8000	02	01	01	01
प्रशासनिक अधिकारी–ग्रेड–2	5000–8000	01	–	–	–
मुख्य सहायक	4500–7000	–	01	01	01
लेखाकार	5000–8000	01	–	–	–
लेखा लिपिक	4000–6000	01	01	01	01
आशुलिपिक	4000–6000	01	–	–	–
मुख्य सहायक कम व0 डाटा एन्ट्री आपरेटर	4500–7000	03	02	02	02
प्रवर सहायक कम व0 डाटा एन्ट्री आपरेटर	4000–6000	06	03	03	03
कनिष्ठ सहायक कम व0 डाटा एन्ट्री आपरेटर	3050–4590	11	05	05	05
प्रवर्तन पर्यवेक्षक	3050–4590	01	01	01	01
प्रवर्तन चालक	3050–4590	02	01	01	01
प्रवर्तन सिपाही	2750–4400	06	04	04	04
दफतरी	2550–3200	01	–	–	–
अनुसेवक	2550–3200	06	03	03	03
योग		48	25	25	25

<u>परिवहन चेक पोस्ट :–</u> पौड़ी सम्भाग के अंतर्गत उत्तरप्रदेष एवं उत्तरांचल राज्य की सीमा पर कोटद्वार –नजीमाबाद मार्ग पर कौडिया पर एक चैकपोस्ट स्वीकृत है, इस चैकपोस्ट पर राउण्ड द क्लॉक संचालन किये जाने के लिए 03 यात्रीकर अधीक्षक, 03 कनिष्ठ सहायक 06 प्रवर्तन सिपाही के पद स्वीकृत हैं।

सम्भागीय परिवहन संगठन के कार्य

परिवहन विभाग, उत्तरांचल शासन के अंतर्गत स्थापित सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय, पौड़ी एवं उसके अधीन स्थापित उपसम्भागीय परिवहन कार्यालयों के मुख्य कार्य निम्नवत हैं :–

(1) मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन प्रदत्त कार्य ।
(2) केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के अधीन प्रदत्त कार्य।
(3) उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 (यथा उत्तरांचल में लागू) के अधीन प्रदत्त कार्य।
(4) उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 के अधीन प्रदत्त कार्य।
(5) उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 के अधीन प्रदत्त कार्य।
(6) मोटर वाहनों से कर वसूली एवं अनुश्रवण।
(7) मोटर यान चलाने हेतु चालक अनुज्ञप्ति देना, मंजिली गाड़ी के कण्डक्टर की अनुज्ञप्ति देना, मोटर यानों का रजिस्ट्रीकरण करना, परिवहन यानों के ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र देना।
(8) सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण से सम्बन्धित कार्य।
(9) सम्भाग के क्षेत्रान्तर्गत अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर परमिट जारी करने हेतु मार्ग सर्वेक्षण करना, मार्ग निर्धारित करना ।
(10) सम्भाग के क्षेत्रान्तर्गत विधिक व्यवस्थानुसार मंजिली गाड़ी, ठेका गाड़ी के परमिट जारी करना, उनका नवीकरण करना, अस्थायी परमिट देना।
(11) माल यानों के राष्ट्रीय परमिट देना व उनका नवीकरण करना।
(12) मार्गों पर संचालित वाहनों की सघन चैकिंग करना, अवैध संचालन रोकना, वाहनों से करों की वसूली करना, वाहनों से उत्सर्जित होने वाले प्रदूषकों की चैकिंग कर प्रदूषण पर नियंत्रण करना, नियमानुसार न चलने वाले, करापवंचन करने वाले मोटर यानों का चालान कर उन्हें बन्द करना।
(13) चालान से सम्बन्धित वादों, न्यायालय में दायर याचिकाओं की प्रभावी पैरवी करना।
(14) उपसम्भागीय परिवहन कार्यालयों पर नियंत्रण।
(15) सम्भाग का बजट सम्बन्धी कार्य करना।
(16) राजस्व वसूली, प्रवर्तन एवं राजस्व प्राप्ति के आकड़ों की समीक्षा एवं उनका प्रेषण।
(17) आडिट आपत्तियों का उत्तर प्रेषित करना।

(18) सम्भाग/उपसम्भाग के अधीन समस्त स्टाफ, फील्ड स्टाफ पर नियंत्रण बनाये रखना एवं उनके कार्य की समीक्षा करना।

(19) सम्भाग के अधीन कनिष्ठ सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की नियुक्ति आदि सम्बन्धी कार्य।

कार्य का संचालन

कार्य विषय के आधार पर सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में निम्न शाखाओं में कार्य विभाजित है :–

1– सामान्य प्रशासन शाखा,
2– रजिस्ट्रीकरण, कर एवं अतिरिक्त कर शाखा,
3– अनुज्ञप्ति शाखा,
4– प्रवर्तन शाखा,
5– लेखा शाखा,
6– कैश शाखा,
7– परमिट शाखा,

प्रत्येक शाखा में यथा आवश्यक् मुख्य सहायक, प्रवर सहायक, कनिष्ठ सहायक एवं लेखा सम्बन्धी कार्य के लिये लेखाकार, लेखा लिपिक, अन्य सहायक तैनात हैं। उप सम्भागीय कार्यालयों में भी तदानुसार कार्य संचालन किया जाता है।

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, पौड़ी का गठन :– मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–68 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य सरकार द्वारा पौड़ी , चमोली एवं रूद्रप्रयाग जनपदों हेतु सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण पौड़ी का गठन किया गया है। आयुक्त गढ़वाल मण्डल इसके अध्यक्ष हैं तथा इसमें राज्य सरकार द्वारा एक सदस्य नामित हैं। सम्भागीय परिवहन अधिकारी पौड़ी इसके पदेन सचिव हैं। सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत मार्गों पर परमिट आदि जारी करने का कार्य किया जाता है।

राज्य परिवहन अपील अधिनियम के समक्ष अपील :–

मोटरयान अधिनयम 1988 के अध्याय–5 परिवहन यानों का नियंत्रण के अधीन सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा –

(क) परमिट देने से इन्कार करने या दिये गये परमिट पर लगायी गई किसी शर्त से ; या

(ख) परमिट के प्रति संहरण या निलम्बन से या उसकी शर्तों में दिये गये किसी परिवर्तन से ; या

(ग) धारा–82 के अधीन परमिट का अन्तरण करने से इन्कार करने से ; या

(घ) सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा परमिट को प्रतिहस्ताक्षरित करने से इन्कार या ऐसे प्रतिहस्तान्तरण पर लगायी गयी किसी शर्त से ; या

(ड.) परमिट के नवीकरण से इन्कार करने से ; या

(च) धारा 83 के अधीन अनुज्ञा देने से इन्कार करने से या किसी अन्य विहित आदेश से– व्यथित कोई व्यक्ति राज्य परिवहन अपील के समक्ष अपील कर सकता है, उत्तरांचल राज्य में राज्य परिवहन अपील अधिकरण सी–1 लेन संख्या–1 शास्त्रीनगर, देहरादून में अवस्थित है।

कार्यालय समय एवं कार्य प्रणाली :–

सम्भाग के अंतर्गत स्थापित सभी कार्यालयों में कार्य अवधि प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे निर्धारित है। कार्यालय में आने वाली आम जनता के कार्य को सुलभ एवं पारदर्शिता के साथ समय से सम्पादित करने हेतु कार्यालयों में आवश्यक औपचारिकताएं सम्बन्धी सूचनाएं मार्गदर्शन के लिए सूचना पट पर प्रदर्शित हैं। लाइसेंस पंजीयन, हस्तान्तण, अनापत्ति प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट सम्बन्धी कार्यों की जानकारी हेतु कार्यालय स्तर पर पम्पलेट छपवाकर जनता को उपलब्ध कराये जाते हैं। इच्छुक व्यक्ति को आवश्यतानुसार समूल्य फार्म उपलब्ध कराये जाने हेतु पटल निर्धारित हैं। यदि किसी कर्मी को कार्यालय के किसी अधिकारी/कर्मचारी से कोई शिकायत है तो वह कार्यालयाध्यक्ष के समक्ष अपनी शिकायत रख सकते हैं अथवा इस हेतु कार्यालय में लगी शिकायत एवं सुझाव पटिका का उपयोग कर सकते हैं। सभी कार्यालयों में शिकायत एवं सुझाव पटिका स्थापित है जो कार्यालयाध्यक्ष के नियंत्रणाधीन है।

****